न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनियॉ आर.ए.एस.

अपील संख्या 2011/00209 (188/2011) 223 आरटीएक्ट

1. जीतसिंह
2. रूपसिंह

} पि0 मेलुसिंह वल्द सुन्दर सिंह जाति सिकलीगर निवासी तलवाड़ाझील हाल सिकलीगरों के गुरूद्वारा के पास जे0ज0 कॉलोनी सिरसा तहसील व जिला सिरसा हरियाणा

–अपीलाण्ट

बनाम

1. शाहसवार पुत्र दोष मोहम्मद जाति मुसलमान साकिन राठीखेड़ा तह0 टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी –असल रेस्पोडेण्ट
3. नाजर सिंह पुत्र मेलुसिंह वल्द सुन्दर सिंह जाति सिकलीगर निवासी तलवाड़ा हाल सिकलीगरों के गुरूद्वारा के पास जे0जे0 कॉलोनी सिरसा तहसील व जिला सिरसा

(फौत)

3/1 मनोहर सिंह पुत्र नाजर सिंह उर्फ नादर सिंह जाति सिकलीगर निवासी जे0जे0 कॉलोनी सिरसा हरियाणा।

3/2 सतनाम सिंह पुत्र नाजर सिंह उर्फ नादर सिंह जाति सिकलीगर निवासी जे0जे0 कॉलोनी सिरसा हरियाणा।

3/3 दीप कौर पुत्री नाजर सिंह उर्फ नादर सिंह पत्नी महेन्द्र सिह जाति सिकलीगर निवासी जे0जे0 कॉलोनी सिरसा हरियाणा।

3/4 प्रकाश कौर पुत्री नाजर सिंह उर्फ नादरसिंह पत्नी अंग्रेज सिंह जाति सिकलीगर निवासी जे0ज0 कॉलोनी सिरसा हरियाणा।

3/5 पीड़ी कौर पुत्री नाजर सिंह उर्फ नदर सिंह पत्नी धन्ना सिंह जाति सिकलीगर निवासी जे0जे0 कॉलोनी सिरसा हरियाणा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Karrar Singh Poonia
Date: 2021.08.04 11:09:30 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

4. जगजीत सिंह
5. प्रेम कौर
6. बन्तो कौर हाल
7. मौनो कौर
8. कन्तो कौर
9. राजी कौर
10. नानकी कौर

पि0 मेलुसिं हवल्द सुन्दर सिंह जाति सिकलीगर निवासी तलवाड़ा सिकलीगरों के गुरूद्वारा के पास जे0जे0 कॉलोनी सिरसा तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।

—तरतीबी / रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 21.06.1995 सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट संगरिया प्रकरण संख्या 312 / 1992 बअनवानी नियाज मोहम्मद बनाम मेलूसिंह

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री इन्द्राज गौदारा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1
श्री रविन्द्र भोभिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 2

निर्णय दिनांकः— 31.03.2021

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत एक वाद—पत्र पेश किया जिसमें प्रतिवादी सं0 1 मेलूसिंह के नाम दर्ज चक नं. 3 आर.के. प. नं. 217 / 283 मु0 नं0 26 किला नं. 25 की 1 बीघा भूमि पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषित करने का अनुतोष मांगा। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Karlar Singh Poonia
Date: 2021.08.04 11:09:30 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

कार्यवाही करते हुए वाद वादी स्वीकार किया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय अपीलाण्ट के पिता को बिना नोटिस दिये एवं साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किये पारित किया गया है जो प्रकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अपीलाण्ट के पिता को कभी कोई नोटिस नहीं मिला। अपीलाट के पिता गांव तलवाड़ा में रोजगार नहीं मिलने पर एवं भूमि की आय से गुजारा नहीं होने के कारण सन् 1995 से पूर्व ही सिरसा चले गये एवं भूमि का हिस्सा ठेका रेस्पो0 सं0 1 से प्राप्त करते रहे परन्तु अपीलाण्ट के पिता एवं अपीलाण्ट को बिना बताये ही समस्त कार्यवाही गुपचुप करवाकर अपीलाधीन निर्णय पारित करवाया है। रेस्पोडण्ट का कभी भी प्रश्नगत भूमि पर अपीलाण्ट व उसके पिता के अधिकारों के विरूद्ध स्वतंत्र रूप से कब्जा लगातार कब्जा नही रहा एवं ना ही ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रतिकूल धारण के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। भूमि रेस्पो0 को ठेके पर दी जाती रही थी। आपसी सम्बन्ध अच्छे होने के कारण लिखपढी नहीं की गई। अपीलाधीन निर्णय का अपीलाण्ट को ज्ञान नहीं था ज्ञान होते ही अपील पेश कर दी है। देरी क्षमा की जावे एवं अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में 2011 आरबीजे (एफ.बी) पेज 387, 2018 आरआरटी पेज 682 डीबी, 2008आरबीजे पेज 761, 2011 सीसीसी पेज 13 एससी, 2004 आरआरडी पेज 167, 2008 आरआरटी 1406 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन कियाकि अपीलाधीन निर्णय पारित करने से अपीलाण्ट के पिता को नोटिस दिया गया था चस्पांदगी से तामील

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.08.04 11:09:30 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

करवाई गई है। दो गवाहों के हस्ताक्षर भी है मगर अपीलाण्ट के पिता ने हमारा प्रतिकूल धारण स्वीकार करने के कारण वे अधीनस्थ न्यायालय में जानबूझकर उपस्थित नही आये। अधीनस्थ ने विधि सम्मत तामील के उपरान्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। अपीलाण्ट के पिता ने अपने जीवन काल में कभी भी इस निर्णय एवं डिक्री को चैलेंज नही किया है अब अपीलाण्ट को अपील पेश करने का अधिकार नहीं है। अपीलाण्ट ने विलम्ब से अपील पेश की है विलम्ब का कोई कारण नही बताया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2018 (2) पेज 948श2010 (3) डीरएनजे (राज) पेज 1081 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को देखते हुए एवं प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार किया जाता है।

7. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट ने प्रतिकूल धारण के आधार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद पेश किया जो अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार किया है। वादपत्र को स्वीकार करते हुए मेलूसिंह पुत्र सुन्दर सिह जाति सिकलीगर के नाम दर्ज चक 3 आरके की 1 बीघा भूमि प्रतिकूल धारण के आधार पर वादी नियाज मोहम्मद पुत्र दोष मोहम्मद को खातेदार काश्तकार घोषित किया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश वादी को एकपक्षीय सुनकर पारित किया गया है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2011 आरबीजे (एफ.बी) पेज 387 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि प्रतिकूल धारण के आधार पर आरटीएक्ट में कोई प्रावधान नहीं है जिसमे खातेदारी नहीं दी जा सकती है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय ने एक खातेदार काश्तकार को सुनवाई का अवसर दिये बिना उसकी खातेदारी भूमि को

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.08.04 11:09:30 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

प्रतिकूल धारण के आधार पर वादी को खातेदार घोषित कर दिया है। ऐसे में अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय में न्यायहित में सुनवाई का एक अवसर दिया जाना उचित है। अतः अपील आंशिक स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त किये जाते हैं एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणिति प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 31.3.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

31/3/21

(करतार सिंह पूनियॉ आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karar Singh Poonia
Date: 2021.08.04 11:09:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner